



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 18.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 539/23 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 02.08.2023 को थाना बडौत पर वादी संजय पुत्र ओमपाल निवासी रामपुर पट्टी कस्बा व थाना खेकडा ने सूचना दी कि अभियुक्त मनीष पुत्र शिपट्टर (पति), शिपट्टर पुत्र स्व0



पलटू (ससुर), एक महिला व 02 देवर निवासीगण ग्राम चौबली थाना छपरौली बागपत हाल पता मौहल्ला लक्ष्मीनगर कोताना रोड कस्बा व थाना बडौत द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित किया गया तथा अतिरिक्त दहेज की मांग की गई मांग पूरी न करने पर वादी की पुत्री की फांसी लगाकर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 539/23 धारा 498/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 539/23 धारा 498/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 04-08-2023 को 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

एक महिला।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अमित कुमार चौहान थाना बडौत।

2-म0का0 864 शैली मोरल थाना बडौत।

2-का0 1070 नरेश कुमार थाना बडौत।

3-का0 892 तेजवीर सिंह थाना बडौत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18.09.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 720/2023 धारा 376एबी/354/506 भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 720/2023 धारा 376एबी/354/506 भादवि व 5 M/6 पोक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पिन्टू उर्फ प्रेमपाल पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक अपराध श्री ओमप्रकाश आर्य थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- है0का0 422 राजन थाना कोतवाली बागपत ।
- 3- का0 333 नितेश थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18.09.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 458/23 धारा
147/148/149/506/323/354बी/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 458/23 धारा

147/148/149/506/323/354बी/307भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोमित प्रसाद पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम गाधी उर्फ ग्यासरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में अभियुक्तगण 1- ऋषिपाल व रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 874 सतेन्द्र थाना कोतवाली बागपत ।

3-का0 171 सोहनपाल थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 18.09.2023

थाना बिनौली पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-मनभीर पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम रामगढ सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-मिथुन पुत्र राजवीर निवासी ग्राम रामगढ सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-रकम सिंह पुत्र जयपाल निवासी ग्राम रामगढ सिरसली थाना बिनौली बागपत ।
- 4-रणवीर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम रामगढ सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री नोवेन्द्र सिंह सिरौहीथाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री राम अवतार सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 109 नरेन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4- का0 557 राहुल सिंह थाना बिनौली ।
- 5- का0 23 अजयपाल थाना बिनौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 18.09.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 391/23 धारा
323/504/506/427/308 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 18.09.2023 को थाना खेकडा पर वादी अरसलान पुत्र आबिद निवासी मौहल्ला बाग कस्बा व थाना खेकडा ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी तथा वादी के चचेरे भाई के साथ गाली-गलौच करते हुए लात-घूसो व ईंट से मारपीट की, जिससे वादी का भाई गम्भीर रूप से घायल हो गया था वादी की मोटरसाइकल को छतिग्रस्त कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 391/23 धारा 323/504/506/427/308 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 391/23 धारा 323/504/506/427/308 भादवि में वांछित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1-सोनू पुत्र ओमपाल निवासी पट्टी ओमपाल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-राजीव पुत्र राजपाल निवासी शाहडब्बर थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार ।

2-का0 911 श्यामवीर ।

3-का0 1021 जितेन्द्र ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनाँक 18.09.2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान जुआ/सट्टा खेलते समय 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 52 ताश के पत्ते, मटके में भरे 100 टोकन तथा 2250 रुपये नकद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान जुआ/सट्टा खेलते समय एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 52 ताश के पत्ते, एक मटके में भरे 100 टोकन तथा 2250 रुपये नकद बरामद हुए हैं



I
उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजीत पुत्र जगरूप निवासी घिटौरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते ।
- एक मटके में भरे 100 टोकन ।
- 2250 रूपये नकद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री मुकेश कुमार ।
2. है०का० 432 अनिल कुमार ।
3. है०का० 113 मनीष कुमार ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक 18.09.2023

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 0 1 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

गुलफाम पुत्र निजामुद्दीन निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री मुकेश कुमार ।

2-है0का0 377 सुरेन्द्र पाल सिंह ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 18.09.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 361/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध चाकू तथा चोरी किया हुआ एक ट्रैक्टर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05/09/2023 को थाना खेकडा पर वादी रणधीर पुत्र रूपचंद निवासी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी का ट्रैक्टर स्वराज 855 टैक्टर नं0 UP17J 5152 को चोरी कर लि या गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं 361/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 361/2023 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक अवैध चाकू तथा चोरी किया हुआ एक ट्रैक्टर स्वराज 855 टैक्टर नं0 UP17J 5152 बरामद हुआ है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि का वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अजय पुत्र सतीश कुमार निवासी खेडा खुर्द नरेला रोहिणी दिल्ली ।

2- दिनेश पुत्र बड्डन लाल निवासी C-17 महेन्द्रा पार्क उत्तम नगर दिल्ली ।

गिरफ्तार अभियुक्त अजय का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 389/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 361/2023 धारा 379 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू (अजय पुत्र सतीश के कब्जे से) ।
- चोरी किया हुआ एक ट्रैक्टर स्वराज 855 टैक्टर नं0 UP17J5152

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 नरेश चन्द यादव ।

2. है0का0 339 राकेश कुमार ।

3.है0का0 442 आफाक ।

4.का0 1008 मिथुन ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 18.09.2023

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 0 1 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

1-ऊधा पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम कन्डैरा थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमर कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-का0 913 शंकर लाल बघेल थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का0 19 सोनित कुमार थाना रमाला बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 18.09.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 22 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कब्जे से 22 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आरिफ पुत्र शाबिर नि वासी मौहल्ला करवला करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 22 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 2-का0 48 आकाश कुमार थाना सिंघावली अहीर ।